रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032025-261893
CG-DL-E-24032025-261893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/ फाल्गुन 30, 1946
No. 191] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025

फा. सं. NIT/AP/Estt-145/2023(अ).—राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश का बोर्ड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश के कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से , राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रथम परिनियमों में संसोधन करने के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाता है, अर्थात:

1. (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का प्रथम परिनियम, (संसोधन) 2025 है।

(2) ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।

2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, के पहले परिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल परिनियम कहा गया है), में परिनियम 14 के , उप -परिनियम (iv) के पश्चात, निम्नलिखित उप-परिनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(v) शासी बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारन से पद रिक्त होने की स्थिति में या अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यो का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का अध्यक्ष , कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष को अधिनियम की धारा 16 के तहत सौंपे गए कार्यो

का निर्वहन कर सकता है और कार्यकाल की समाप्ति की स्थिति में, कुलाध्यक्ष वर्त्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल को छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, बढ़ा सकता है। "

3. मूल परिनियम में, परिनियम 17 में, उप -परिनियम (15) का लोप किया जाएगा।

प्रो. मोहन वि. आवारे, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./1052/2024-25]

टिप्पण: मूल परिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप -खंड (i) में तारीख 23 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.280 (अ) द्वारा प्रकाशित किये गए थे और तारीख 15 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.837 (अ) और तारीख 21 जुलाई, 2017 के का.आ. 947 (अ) और तारीख 20 जुलाई, 2023 की फा.सं. NIT/AP/Estt.145/2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ARUNACHALPRADESH

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2025

F. No. NIT/AP/Estt-145/2023 (E).—In exercise of the powers conformed by sub- section (2) of section 26 of National Institute of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), with the approval of the Visitors of the National Institute of Technology Arunachal Pradesh, the Board of the National Institute of Technology Arunachal Pradesh, hereby makes the following statutes to amend the First Statutes of the National Institute of Technology, namely:-

1. (1) The Statutes may be called the First Statutes of the National Institute of Technology (Amendment) Statutes, 2025.

(2) They shall apply to the National Institute of Technology, Arunachal Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the First statues National Institute of Technology Arunachal Pradesh (herein after referred to as the principal Statutes), in Statues 14, after sub-statue (IV), the following sub- statues shall be inserted, namely_____

"(v) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson of the Board of Governors by reason of expiry of his or her tenure, death, resignation or otherwise or in the event of the Chairperson being unable to discharge his or her functions owing to absence, illness or any other causes, the Chairperson of an Institute of National Importance, may discharge the functions assigned to the Chairperson under section16 of the Act, for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier, with the approval of the Visitors and in case of expiry of tenure, the Visitors may extended the term of the incumbent Chairperson for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier."

3. In the principal Statutes, in Statutes 17, sub- statutes (15) shall be omitted.

PROF. MOHAN V. AWARE, Director
[ADVT.-III/4/Exty./1052/2024-25]

Note: The principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, Sub- Section (i) vide notification number G.S.R.280 (E) dated the 23rd April, 2009 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 837 (E) dated the 15th October, 2015, S.O.947 (E) dated the 21st July , 2017 and F. No.NIT/AP/Estt. 145/2023 dated 20th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.24 16:08:54 +05'30'